न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/144

तारीख दायर :– 05/07/2018

उनवान

1. मु0 नानछी देवी पत्नि रामेश्वर जाति मीणा
2. फूलचन्द पुत्र रामेश्वर जाति मीणा नाबालिग
3. रोहित पुत्र रामेश्वर जाति मीणा नाबालिग बसरपररस्ती नानछी माता खुद जाति मीणा
4. लीला पुत्री रामेश्वर जाति मीणा
5. उर्मिला पुत्री रामेश्वर जाति मीणा
6. मनसा पुत्री रामेश्वर जाति मीणा
7. काली पुत्री रामेश्वर जाति मीणा निवासीयान ग्राम सांवतसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। –वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– प्रतिवादीगण।

‖ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ‖

उपस्थिति :–

1. श्री गोपीराम शर्मा एडवोकेट वादी।

2. कोई उपस्थित नही एडवोकेट प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांकः–31/01/2019

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम सावंतसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 0.13 हैक्टर स्थित चली आती है। जो आराजी दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है।

उपरोक्त हाल आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 0.13 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर 492/1 रकबा 10 बिस्वा से बना है। जैसाकी मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 से प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवादित आराजी वादी संख्या एक का पति व वादी संख्या दो लगा.
सात के पिता को सरकार द्वारा आवंटन कर दखल दिलाया गया था और विवादित
आराजी का तितम्बा भी दखलनामा पर्चा में अंकित कर काट दिया गया था और वादी
सं0 एक का पति व वादी संख्या दो लगा0 सात के पिता को मौके पर दखलनामा के
अनुसार कब्जा उसी समय करा दिया गया था बरोज आवॅटन से वादी संख्या एक लगा.
सात का पति व पिता अपनी आवॅटन शुदा आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ
रहे है। वादीगण शान्ति पूर्वक विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे
है। जिस विवादित आराजी के वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार चले आते हैं आज
भी मौके पर विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त खातेदारी मौजूद है।
वादीगण की विवादित आराजी से अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का
नही है।

विवादित आराजी पर वक्त ऑवंटन ही वादीगण संख्या एक लगा. सात के पति व पिता को मौके पर तरफ उतर को दखल दिया गया था जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड साबिक नक्शा में दर्ज है। उसी समय दखलनामा के मुताबिक नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था। जो नक्शा तितम्बा मौका कब्जा अनुसार सही अंकित किया गय था। वादीगण बरोज आवंटन से ही विवादित आराजी पर उक्तानुसार काबिज रहक काश्त करते आ रहे है। आज भी मौके पर वादीगण का उक्तानुसार कब्जा काश खातेदारी मौजूद है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी वक्त आवंटन उबड खाबड थी। जिसको वादीगण ने अपनी जिस्मानी लागत मेहनत से उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बनाया है। आज भी मौके पर वादीगण विवादित आराजी तरफ उतर में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है और मौके पर काबिज है। वादीगण ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति है। वादी को कानून की जानकारी नही थी। जब वादीगण दिनांक 25.06.2018 को बिनाय दावी व बिनायमुखास्मत गलत इन्द्राज की जानकारी पटवारी हल्का झिरी ने बताया की तुम्हारी आराजी के नक्शा में तितम्बा गलत कटा हुआ है। जबकि मौके पर तुम तरफ उतर में आराजी पर काबिज है जिस पर वादीगण को गलत इन्द्राज हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा तितम्बा दर्ज किया हुआ है। जो इन्द्राज गलत खिलाफ कानून व मौका है। वादीगण के हकूकों के मुकाबिल बातिल बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जिस गलत इन्द्राज हाल नक्शा तितम्बा वो कलमजन किया जाकर तरफ उतर में मौका कब्जा अनुसार दखलनामा अनुसार आराजी के तरफ उतर में दर्ज किया जाकर जरिये अदालत राजस्व रिकार्ड नक्शा तितम्बा में दुरूस्ती किये जाने योग्य है वादीगण उक्तानुसार नक्शा तितम्बा में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद पत्र पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नही। ओर ना ही जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इकतर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि हाल सैटलमैंन्ट सम्वत 2060 में वादीगण की विवादित आराजी का तितम्बा मौका कब्जा व साबिक तितम्बा के खिलाफ काट दिया गया है जो हाल नक्शा से प्रमाणित है। वादीगण आराजी ख.नं. 508 रकबा 0.13 है0 आवंटिन हुआ है जिसका साबिक ख.नं. 492/1 रकबा 10 बिस्वा का नम्बर कायम कर दखल नामा पर तितम्बा काटा गया है जो मिलान क्षेत्रफल व नकल दखल नामा से प्रमाणित है। अब वादीगण दखलनामा की पुश्त पर काटे गये तितम्बे के अुनसार ढाल नक्शा लठ्ठा में तितम्बा दुरूस्त कराना चाहते है अतः तितम्बा दुरूस्त करने व दावा डिकी करने का अनुरोध किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2071—74 वाकै ग्राम सावंतसर के खाता संख्या 14 के आ.ख.नं. 508 रकबा 0.13 है0 का साबिक ख.नं. 492/1 रकबा 10 बिस्वा हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2060 में तितम्बा काटते समय वादीगण के कब्जे व मौके के खिलाफ नक्शा तितम्बा काट दिया गया है वादीगण द्वारा नकल इन्तकाल पेश में नक्शा दर्ज है कि पुश्त पर काटे गये तितम्बा के अनुसार दुरूस्त कराना चाहते है अतः दखलनामा की पुश्त पर काटे गये तितम्बा व हाल नक्शा लठठा में काटे गये तितम्बा में एक रूपता नही है। इसलिये वादीगण का तितम्बा हाल नक्शा लठ्ठा में दखल नामा की पुश्त पर काटे गये तितम्बा अनुसार दुरूस्त करना न्यायालय उचित समझता हैं अतः दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दावा वादीगण डिकी योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिकी किया जाता है तथा वादीगण की विवादित आ.ख.नं. 508 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम सावंतसर का तितम्बा इन्तकाल की पुश्त पर काटे गये तितम्बा साबिक खसरा नम्बर 492/1 रकबा 10 बिस्वा अनुसार व मौका कब्जा अनुसार काटा जाकर दुरूस्त करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार थानागाजी तदनुसार हाल नक्शा लठ्ठा में दुरूस्ती करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

Scanned by CamScanner

तारीख दायर :– 05/07/2018

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर थानागाजी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत)

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/144

तारीख दायर :– 05/07/2018

उनवान

1. मु0 नानछी देवी पत्नि रामेश्वर जाति मीणा
2. फूलचन्द पुत्र रामेश्वर जाति मीणा नाबालिग
3. रोहित पुत्र रामेश्वर जाति मीणा नाबालिग बसरपरस्ती नानछी माता खुद जाति मीणा
4. लीला पुत्री रामेश्वर जाति मीणा
5. उर्मिला पुत्री रामेश्वर जाति मीणा
6. मनसा पुत्री रामेश्वर जाति मीणा
7. काली पुत्री रामेश्वर जाति मीणा निवासीयान ग्राम सांवतसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– प्रतिवादीगण।

Scanned by CamScanner

। राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम बाबत ।

उपस्थिति :—

1. श्री गोपीराम शर्मा एडवोकेट वादी।
2. कोई उपस्थित नही एडवोकेट प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :—

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादीगण की विवादित आ.ख.नं. 508 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम सावंतसर का तितम्बा इन्तकाल की पुश्त पर काटे गये तितम्बा साबिक खसरा नम्बर 492/1 रकबा 10 बिस्वा अनुसार व मौका कब्जा अनुसार काटा जाकर दुरूस्त करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार थानागाजी तदनुसार हाल नक्शा लठठ्ा में दुरूस्ती करे।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

Scanned by CamScanner